<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं०- 14, बाराबंकी</u>

मूलवाद सं०-361/1995

CNR No UPBB180000011995

भागीरथ आदि बनाम राम शंकर आदि

<u>12.02.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना-पत्र ग-16 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीजन/प्रतिवादीजन को दिनांक 13.07.2023 नियत पेशी पर अतिरिक्त जवाबदावा दाखिल करना था परन्तु न्यायालय पर वाहन, जिससे प्रार्थी कौशल किशोर आ रहा था, वह मशीनी खराबी के कारण कुछ देर से पहुंचा। जिसके कारण प्रार्थी कौशल किशोर समय से न्यायालय पर नहीं पहुंच सका और अतिरिक्त जवाबदावा तैयार कराकर नहीं दाखिल कर सका। अतः प्रार्थना है कि आदेश दिनांक 13.07.2023 को रिकाल करके संलग्न अतिरिक्त जवाबदावा दाखिल करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

वादीगण की ओर से हर्जे हेतु आपत्ति की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जहां तात्विक न्याय व प्रक्रियात्मक न्याय में से एक को चुनना हो वहां तात्विक न्याय को वरीयता दी जानी चाहिए। जहां तक सम्भव हो मामले का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। विलम्ब की पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र 300/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ग-16 मु० 300/- हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी उपरान्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अतिरिक्त जवाबदावा पत्रावली में शामिल मिसिल हो।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 01.03.2024 को पेश हो।

(सोनम शर्मा)

सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट

न्यायालय संख्या-14, बाराबंकी।